

## न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 104/2023

तारीख दायर :-13.03.2023

दिनांक निर्णय :-05.04.2023

पटवारी हल्का नयागावबोलका तहसील राजगढ़ जिला अलवर राजस्थान।

बनाम

मुकेश कुमार बैरवा पुत्र भोलाराम जाति बैरवा, सा0 फिरोजपुर जॉगीर तहसील तहसील राजगढ़ जिला अलवर

अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान  
भू0 राजस्व अधिनियम-1956

आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया, अप्रार्थी द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का नयागावबोलका द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। मुकेश कुमार बैरवा पुत्र भोलाराम जाति बैरवा, सा0 फिरोजपुर जॉगीर तहसील राजगढ़ जिला अलवर उपस्थित रहा। गैरसायल नोटिस जवाब एवं साक्ष्य सबूत हेतु समय दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया गया है। गैरसायल के द्वारा कोई नोटिस जवाब पेश नहीं करने के कारण इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतिक्रमी की मंशा आराजी खसरा नम्बर 279/1401 रकबा 0.11 है0 बारानी2, 278 रकबा 0.16 है0 बारानी2, 1297/281 रकबा 0.56 है0 बंजड़ के भाग 0.03 है, 1291/1270 रकबा 0.50 है0 बंजड़ के भाग 0.15 है0 कुल किता 4 रकबा 0.45 है0 राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण कायम रखने की प्रतित होती है, चूँकी राजकीय भूमि पर गैरसायल द्वारा अनाधिकृत रूप से सम्मत 2079 में तारबंदी कर कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है। पटवारी हल्का नयागावबोलका रिपोर्ट के अनुसार अतिक्रमी का अतिक्रमण सिद्ध होता है। अतिक्रमीयान काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि:-

अतिक्रमी श्री मुकेश कुमार बैरवा पुत्र भोलाराम जाति बैरवा, सा0 फिरोजपुर जॉगीर तहसील राजगढ़ जिला अलवर वाके ग्राम डॉंगरवाड़ा के आराजी ख0न0 आ0ख0न0 279/1401 रकबा 0.11 है0 बारानी2, 278 रकबा 0.16 है0 बारानी2, 1297/281 रकबा 0.56 है0 बंजड़ के भाग 0.03 है, 1291/1270 रकबा 0.50 है0 बंजड़ के भाग 0.15 है0 कुल किता 4 रकबा 0.45 है0 राजकीय सिवायचक भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 1.98 की 50 गुणा में मु0 99.00/-रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावे। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों थानाराजाजी/पटवारी हल्का नयागावबोलका को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आज दिनांक 04.04.2023 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

रा. ले. सं. 4 वर्ष...2023...24  
के पृष्ठ संख्या...3...पत्र...सि. य. 99/-  
राशि कायम किये गये।  
त. रा. लेखाकार

  
नायब तहसीलदार  
राजगढ़ जिला अलवर